

डॉ० दयाकृष्ण मथेला
सचिव

क्रमांक:- ७

निविदा मूल्य: रु० 200बिक्री कर
रु०27=०० रु० 227.००

कार्यालय: सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल)

निविदा प्रपत्र

हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा-2016

निविदा संख्या:-००१/उ०वि०शि०प० / ००३/२०१५-१६ दिनांक - १३-०५-२०१५

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल द्वारा संचालित हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की वर्ष 2016 की परीक्षाओं व पंजीकरण के लिये ओ०एम०आर०एवं आई०सी०आर० आवेदन पत्र मुद्रण किये जाने हेतु निविदा प्रपत्र।

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल द्वारा संचालित वर्ष 2016 की परीक्षाओं हेतु -

- 1- हाईस्कूल परीक्षा - 2.00 लाख ओ०एम०आर० व 4.00 लाख आई०सी०आर०
- 2- इण्टरमीडिएट - 1.70 लाख ओ०एम०आर० व 3.40 लाख आई०सी०आर०
- 3- पंजीकरण - 1.85 लाख ओ०एम०आर०

फर्म को ओ०एम०आर० / आई०सी०आर० व पंजीकरण आवेदन पत्र को मुद्रित कर निश्चित समय में परिषद कार्यालय को पहुंचाना अनिवार्य होगा। यह कार्य एक निर्धारित समय सारिणी के अनुसार जो आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय है, सम्पादित किये जाते हैं।

निविदादाता फर्मों द्वारा निविदाएं दो भागों में दी जायेंगी:-

(A) प्रथम भाग-तकनीकी सूचना एवं अन्य सामान्य सूचना (Technical Bid)- इसके अन्तर्गत फर्मों को टेंडर में माँगी गई समस्त तकनीकी सूचनाएं एवं उनसे संबंधित आवश्यक प्रपत्र तथा रूपये- 70,000=०० की अर्नेस्टमनी की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा तथा तकनीकी भाग में नमूने की प्रति का लिफाफा भी रखा जायेगा।

(B) द्वितीय भाग वित्तीय सूचना (Financial Bid)- इसके अन्तर्गत फर्म को उपर्युक्त कार्यों हेतु टेंडर में निर्धारित किए गये प्रारूप पर कार्य सम्पादित करने की प्रति परीक्षार्थी ओ०एम०ओ० व आई०सी०आर० आवेदन पत्र की दर अंकित करनी होगी।

उक्त तकनीकी सूचना एवं वित्तीय सूचना से संबंधित लिफाफों को अलग-अलग सील करके उसे एक बड़े लिफाफे में रखकर उस पर हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा एवं पंजीकरण आवेदन पत्र वर्ष-2016 का टेंडर प्रपत्र अंकित कर उसे सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल के पते पर दिनांक-०१,०६,२०१५ के मध्याह्न ११.०० बजे के पूर्व तक प्राप्त कराना अनिवार्य होगा।

डॉ० दयाकृष्ण मथेला
सचिव

हाईस्कूल / इण्टमीडिएट परीक्षा 2016 व पंजीकरण के ओ0एम0आर0 /
आई0सी0 आर0 आवेदन पत्र:-
(तकनीकी भाग)

- 1:- फर्म का नाम एवं पूर्ण पता।
- 2:- फर्म की स्थापना का वर्ष / माह।
- 3:- संगठन का प्रकार वैयक्तिक / पार्टनरशिप / प्राइवेट या पब्लिक संस्था आदि।
- 4:- संगठन / कम्पनी का स्वामित्व प्रमाण—पत्र तथा पंजीयन प्रमाण—पत्र संलग्न करें।
- 5:- गत वर्ष का कुल टर्नओवर।
- 6:- यदि संगठन कम्पनी है तो उसका पेडअप कैपिटल।
- 7:- गत वर्ष अर्जित लाभ।
- 8:- आयकर अदायगी का प्रमाण—पत्र संलग्न किया जाय।
- 9:- फर्म का दूरभाष / ई मेल / इन्टरनेट सुविधा है अथवा नहीं।
- 11:- सेवाकर अदायगी का प्रमाण पत्र।
- 12:- फर्म का टिन नम्बर।
- 13:- ओ0एम0आर0 / आई0सी0आर0 व पंजीकरण आवेदन पत्र के नमूने का लिफाफा।
- 14:- टेलीफोन, फैक्स, मोबाईल नम्बर एवं ई—मेल आई डी—
- 15:- निर्धारित अर्नेस्टमनी की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट / एफ0डी0आर0 संलग्न करना आवश्यक होगा।
बैंक ड्राफ्ट रु0..... रु0..... दिनांक.....
बैंक का नाम—.....

निविदादाता का
फोटो राजपत्रित
अधिकारी द्वारा
प्रमाणित

हस्ताक्षर निविदादाता —
फर्म की मुहर—

हाईस्कूल / इण्टमीडिएट एवं पंजीकरण वर्ष 2016 के ओ०ए०आ०र० / आई०सी०आ०र० आवेदन पत्रः-

(वित्तीय भाग)

क:- प्रति परीक्षार्थी ओ०ए०आ०र० तथा आई०सी०आ०र० आवेदन पत्र दर समस्त करों सहित जिसमें सेवा कर भी सम्मिलित है:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2016 लगभग 2.00लाख परीक्षार्थियों हेतु दर प्रति परीक्षार्थी।		
		दरें	कर यदि कोई हो	कर सहित कुल दर
1	परीक्षा ओ०ए०आ०र० आवेदन पत्र 110 GSM			
2	परीक्षा आई०सी०आ०र० आवेदन पत्र 80 GSM			

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इण्टर परीक्षा वर्ष 2016 लगभग 1.70लाख परीक्षार्थियों हेतु दर प्रति परीक्षार्थी।		
		दरें	कर यदि कोई हो	कर सहित कुल दर
1	परीक्षा ओ०ए०आ०र० आवेदन पत्र 110 GSM			
2	परीक्षा आई०सी०आ०र० आवेदन पत्र 80 GSM			

क्र० सं०	कार्य का विवरण	पंजीकरण ओ०ए०आ०र० वर्ष 2016 लगभग 1.85 लाख परीक्षार्थियों हेतु दर प्रति परीक्षार्थी।		
		दरें	कर यदि कोई हो	कर सहित कुल दर
1	पंजीकरण ओ०ए०आ०र० आवेदन पत्र 110 GSM			

१०८
पंजीकरण सेवा

पंजीकरण एवं परीक्षा ओ०ए०आ० आवेदन पत्र, आई०सी०आ० आवेदनपत्र मुद्रण कार्य मे
प्रयुक्त होने वाली स्टेशनरी का गुणवत्ता मानक—

स्टेशनरी का विवरण	GSM	SIZE
1- पंजीकरण / परीक्षा ओ०ए०आ० आवेदन पत्र	110 GSM	A4
2- आई०सी०आ० आवेदन पत्र	80 GSM	A4

नोट:-1 हाईस्कूल का आर्टवर्क गुलाबी व इंटर का आर्टवर्क लाल रंग में होगा।

2-पंजीकरण का आर्टवर्क लाल रंग में होगा।

3- निविदा के साथ प्रत्येक आइटम के नमूने का एक सैट (निर्धारित विवरण के अनुरूप) अवश्य संलग्न किया जाय। बिना नमूने के निविदा स्वीकार नहीं होगी। फर्म द्वारा संलग्न नमूनों पर कोई चिन्ह या विवरण अंकित नहीं किया जायेगा। प्रत्येक नमूने के साथ ट्रिवन (Twin) तागे से एक स्लिप नत्थी की जायेगी। इस स्लिप पर फर्म का नाम पता अंकित किया जायेगा। नत्थी के स्थान पर तथा तागे की गाँठ पर लाख लगाकर फर्म द्वारा सील लगा दी जायेगी। ये नमूने एक अलग लिफाफे में रखे जायेंगे जिस पर मोटे अक्षरों में 'नमूनों का लिफाफा' लिखा जायेगा। नमूने के इस लिफाफे को तकनीकी सूचना के लिफाफे में रखा जायेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता —

फर्म की मुहर—

शर्त— निविदादाता फर्म को निम्नांकित शर्तों एवं नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य हैः—

- (क) 1- सभी कार्य संविदा के आधार पर करने होंगे एवं सिस्टम से सम्बन्धित किसी कार्य की जिम्मेदारी परिषद पर नहीं होगी।
- 2- यदि निविदा दाता चाहे तो निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा परिषद की कार्यविधि का सर्वेक्षण कर सकते हैं।
- (ख) पंजीकरण व परीक्षा ओ०ए०आ०, आई०सी०आ० आवेदन पत्र को परिषद के कार्यालय में निःशुल्क पहुँचाना निविदादाता फर्म का उत्तरदायित्व होगा।
- (ग) वित्तीय:-

1-निविदादाता फर्म को निविदा के साथ धनराशि (अर्नेस्टमनी) $₹0 \quad 50,000 + 20,000 = 70,000$ का क्रारड बैंक ड्राफ्ट के रूप में सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल के पदनाम से प्लेज करना होगा। नकद या किसी अन्य रूप में धनराशि स्वीकार नहीं की जायेगी।

2:- फर्म को कोई अग्रिम धनराशि नहीं दी जायेगी। देय धनराशि का भुगतान 2 किस्तों में निम्नवत् किया जायेगा:-

अ— प्रथम किस्त :— मुद्रण का कार्य संतोषजनक ढंग से पूर्ण हो जाने की स्थिति में किये गये कार्य के बिल प्रस्तुत करने पर फर्म को के 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

ब— द्वितीय किस्त :— ओ०ए०आ०/आई०सी०आ० वितरण के उपरान्त विद्यालयो/अनुभाग से सन्तोषजनक रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर फर्म को अवशेष 10 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जायेगा। किन्तु कार्य की गुणवत्ता के सम्बन्ध में प्रतिकूल रिपोर्ट आने पर भुगतान रोका अथवा काटा जा सकता है।

3- भुगतान किये जाने वाले सभी बिलों से निर्धारित दर पर आयकर तथा उस पर देय सरचार्ज की कटौती भी नियमानुसार की जायेगी।

4:- कार्य सम्पादन की अवधि में किसी भी समय यदि परिषद के सचिव यह अनुभव करते हैं कि कार्य की प्रगति सतोषजनक नहीं है, प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता या कार्य कुशलता यथेष्ट नहीं है तो वह फर्म से कार्य वापस ले सकते हैं तथा एक सप्ताह का लिखित नोटिस देकर इस कार्य को अन्य को दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में उसके मूल्य तथा स्थानापन्न सामग्री के मूल्य को पूर्व स्वीकृत फर्म से वसूल किया जायेगा।

5:- परिषद द्वारा ओ०ए०आर० आवेदन पत्रों की स्केनिंग करायी जायेगी यदि स्केनिंग करने में ओ०ए०आर० में किसी प्रकार की त्रुटि प्रकाश में आती है तो इसका सम्पूर्ण दायित्व फर्म का होगा ऐसी स्थिति में उसके देयक से कटौती की जायेगी।

6:- फर्म को ओ०ए०आर० मुद्रण से सम्बन्धित कार्य का 6 साल का अनुभव होना अनिवार्य है।

7:- आशान्वित ठेकेदार कार्यादेश पाने के एक सप्ताह के अन्दर कार्य के कुल मूल्य के 10 (दस) प्रतिशत के बराबर जमानत की धनराशि बैंक गारन्टी/एकाउन्ट पे बैंक ड्राप्ट/सावधि जमा रसीद के रूप में कार्य सम्पादित करने हेतु जमा करेंगे। कार्यपूर्ति धरोहर आपूर्ति कर्त्ताओं/निविदादाताओं के संविदा से सम्बन्धित सभी दायित्वों को जिनमें वारंटी सम्बन्धी दायित्व सम्मिलित हैं, पूर्ति करने की अवधि के दिवस से 60 दिन बाद तक वैध होना आवश्यक है। किसी भी दशा में निश्चित की जाने वाली राज्यपाल को देय किसी भी धनराशि की वसूली उक्त जमानत की धनराशि से की जायेगी तथा उसके प्रति सचिव द्वारा लिखित नोटिस दिये जाने के पन्द्रह दिनों के अन्दर ठेकेदार उक्तवत हुई कमी की पूर्ति करेगा ठेकेदार को जमानत की राशि की वापसी ठेके का कार्य पूर्णतः सम्पन्न हो जाने के छः माह के पश्चात की जायेगी।

8:- किसी अन्य उपाय के प्रति बिना किसी पक्षपात के उत्तराखण्ड शासन के शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद के निर्णय के प्रति अतिम रूप से लिया गया निर्णय ठेकेदार को स्वीकार होगा। राज्यपाल महोदय ठेकेदार से राजस्व वसूली के रूप में अवशेष सम्बन्धित सभी देय धनराशि की वसूली कर सकते हैं।

घ:- सामान्य शर्तेः-

1:- सौंधे गये सभी कार्यों को फर्म द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ही पूर्ण करना पड़ेगा।

2:- निविदादाताओं एवं आशान्वित ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक दशा में विवादग्रस्त भिन्नता जो पार्टियों के मध्य किसी समय उठती है या कोई व्यक्ति उनके प्रति दावा करता है या इस निविदा के सम्बन्ध में या उसके लिये जिसके प्रति स्पष्ट रूप से ऊपर निर्णय का उल्लेख कर दिया गया है, सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति के पास निर्णय हेतु सन्दर्भित किया जायेगा। यदि पच जिसे विवाद मूल रूप में संदर्भित किया गया है। स्थानान्तरित हो जाता है या पंद्र रिक्त करता है अथवा किसी भी कारण से कार्य में असमर्थ होता है तो सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद स्वयं पंच का कार्य करेंगे अथवा अन्य व्यक्तियों को पंच नियुक्त करेंगे। ऐसा व्यक्ति पूर्व नियुक्त एवं पंच द्वारा किये गये कार्य से आगे की कार्यवाही सम्पादित करेगा इस ठेके की यह भी एक शर्त है कि उपर्युक्त के अनुसार नियुक्त व्यक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति पंच का कार्य सम्पन्न नहीं करेगा और यदि किसी कारणवश यह सम्भव नहीं है तो विवाद पंच को संदर्भित ही नहीं किया जायेगा। प्रत्येक मामलों में जहाँ विवादित दावे की धनराशि पचास हजार रुपये और ऊपर है पंच निर्णय का कारण बतायेगा। निविदा स्वीकृति के पश्चात उक्त समझौते की धाराएं संविदा की शर्तों के रूप में जोड़ दी जायेंगी। निर्णय को न मानने वाली पार्टी विवाद/विवादों को पंच को संदर्भित किये जाने हेतु प्रत्येक विवाद के सम्बन्ध में माँगी जाने वाली धनराशि सहित स्पष्ट करेगी।

आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के प्राविधानों या किसी वैधानिक संशोधन या उसके कार्यान्वयन तथा उसके अन्तर्गत निर्मित नियम के निर्णय की कार्यवाही में लागू होंगे। आर्बिट्रेटर समय-समय पर पार्टियों की सहमति से निर्णय देंगे तथा उसे प्रकाशित करने हेतु समय को बढ़ा सकते हैं।

3:- चयनित ठेकेदार को रुपये 100-00 (रुपये एक सौ) मात्र के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित करना होगा। इस निविदा की सभी शर्तें तथा कार्यादेश किये जाने के समय उचित समझी गईं अन्य शर्तें भी ठेके की शर्तें होंगी।

स्टेशनरी निविदा में विज्ञापित नाप जोख, विवरण के अनुसार न हो अन्यथा खराब हो तो आपूर्तिकर्ता फर्म उसे स्वयं के द्वय पर यथाशीघ्र बदल देगी और अस्वीकृत माल वह स्वयं के द्वय पर ही उठायेगी। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दायित्व विभाग का नहीं होगा। फर्म द्वारा की गई ब्रुटियों पर सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अर्थ दण्ड/ कटौती फर्म को मान्य होगी।

आपूर्तिकर्ता फर्म स्टेशनरी का आर्टवर्क निर्धारित समय से बनाकर सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल से अनुमोदित करायेगी। इस हेतु अलग से कोई धनराशि फर्म को देय न होगी। इस प्रकार फर्म द्वारा बनवाया गया आर्ट वर्क परिषद कार्यालय की आवश्यकताओं के अनुरूप न किये जाने पर इसे निरस्त भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परिषद कार्यालय स्वयं आर्ट वर्क बनवाकर देगा, जिसका सम्पूर्ण व्यय आपूर्तिकर्ता फर्म को वहन करना होगा। आर्ट वर्क परिषद की सम्पत्ति होगी। फर्म आर्ट वर्क की सी0डी० परिषद को उपलब्ध करायेगी। इस हेतु कोई धनराशि देय नहीं होगी।

उपर्युक्त विवरणों सहित सील बन्द लिफाफे में परिषदीय परीक्षा/पंजीकरण वर्ष 2016 हेतु आवेदन पत्र हेतु निविदा अंकित कर सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, (नैनीताल) के कार्यालय में निविदा दिनांक – को 12.00 बजे मध्याह्न तक अथवा इस तिथि के पूर्व निश्चित रूप से पहुँच जानी चाहिये। इस निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त हुई निविदा/निविदाएं स्वीकार नहीं की जायेंगी तथा बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दी जायेंगी। परिषद कार्यालय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था है।

4— किसी भी वाद हेतु न्यायालयी क्षेत्राधिकार रामनगर (नैनीताल) होगा।

निविदा का तकनीकी भाग दिनांक—, 2015 को 1.00 बजे अपराह्न समस्त उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी। तदोपरान्त वैध पाई गई फर्मों का वित्तीय भाग खोला जायेगा।

परिषद के सचिव किसी भी टेण्डर को बिना कारण बताये सुधारने/निरस्त करने या स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

नोट:- 1—तकनीकी एवं वित्तीय भाग के लिफाफे अलग—अलग सील बन्द होंगे, दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखा जायेगा। इस बड़े लिफाफे को भी मुहरबन्द किया जायेगा।

2— निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ में सुस्पष्ट हस्ताक्षर करें।

(डॉ० डी०क०० मथेला)

सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)।

निविदादाता के हस्ताक्षर—

फर्म की मुहर—